...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आरएएस)

...जस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –38 / 2020

दायर दिनांक –24.11.2020

निर्णय दिनांक –20.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2020 / 00078

प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री ज्ञानचन्द लुणावत पुत्र श्री खिवराज लुणावत तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री सरफुद्दीन, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के आधार खाता संख्या 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 हैक्टयर में प्रार्थी श्री ज्ञानचन्द लुणावत पुत्र श्री खिवराज लुणावत जाति महाजन का नाम दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु पेश किया गया।

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:28 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2006 में निम्नानुसार अप्रार्थीगण के हक–हिस्से के 1/3 भाग सम्पत्ति क्रय की थी, जिसका नामान्तरण संख्या 658 दिनांक 24.01.2007 के द्वारा वर्किंग जमाबंदी में प्रार्थी के नाम नामांतरण हो गया। कृषि आराजी का विवरण निम्नानुसार है–

ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
तिलोरा	नया 104 पुराना 97	679 681	02–16–00 02–03–00	चाही 2 चाही 2
कुल क्षेत्रफल			04–19–00	

परन्तु वर्तमान में भू–प्रबंध के दौरान मिसल बंदोबस्त में त्रुटि कारित करते हुए प्रार्थी की खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की खरीद शुदा भूमि अमल से शेष रहकर पुनः विक्रेता का नाम दर्ज हो गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 06.09.2021 को प्रार्थी अभि0 द्वारा प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 का नाम तर्क करने का पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया, दिनांक 13.09.2021 को प्रार्थना–पत्र को सुना जाकर स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 का नाम प्रार्थना–पत्र से तर्क किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार), पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.08.2021 पत्र क्रमांक/तह.पु/रीडर/2021/1640 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि " ग्राम तिलोरा की वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 679 रकबा 02–16–00 बीघा, खसरा संख्या 681 रकबा 02–03–00 बीघा में पूर्ण दर्ज बेचान का नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 24.01.2007 से विक्रेता कालू पुत्र छीतर, छोटी भंवरी पुत्रियां छितर, सरकार पुत्र मिठू, शारदा पुत्री मिठू हि. 1/3 के स्थान पर क्रेता ज्ञानचंद पुत्र खींवराज जाति महाजन सा.देह हि. 1/3 के स्थान पर क्रेता ज्ञानचंद पुत्र खींवराज जाति महाजन सा. देह हि. 1/3 दर्ज किया है। परंतु भू–प्रबंध के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:28 IST
Reason: SelfAttested

26.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

बंदोबस्त में त्रुटिवश उक्त नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 24.01.2007 अमल से शेष रहकर पुनः विक्रेता का नाम दर्ज हो गया। यह है कि उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 679 रकबा 02–16–00 बीघा के नये खसरा नम्बर 372/0.09, खसरा 374 रकबा 0.21, खसरा संख्या 588 रकबा 0.02, खसरा संख्या 589 रकबा 0.01, खसरा संख्या 590 रकबा 0.12 बने तथा खसरा नमबर 681 रकबा 02–03–00 बीघा के नये खसरा नम्बर 373 रकबा 0.35 हैक्टेयर बने। ग्राम तिलोरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 55 किता 06 रकबा 0.80 हैक्टेयर पर वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 104 के खसरा नम्बर 679 रकबा 02–16–00 बीघा खसरा नम्बर 681 रकबा 02–03–00 बीघा में पूर्व में दर्ज बेचान का नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 24.01.2007 से विक्रेता कालु पुत्र छीतर, छोटी भंवरी पुत्रियां छीतर, सरदार पुत्र मिठू, शारदा पुत्री मिठू हि. 1/3 के स्थान पर ज्ञानचन्द पुत्र खींवराज हि. 1/3 जाति महाजन सा. देह का अंकन दुरूस्त किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 हैक्टयर पर वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 679 रकबा 02–16–00 बीघा खसरा नम्बर 681 रकबा 02–03–00 बीघा में पूर्व में दर्ज बेचान का नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 24.01.2007 से विक्रेता कालु पुत्र छीतर, छोटी भंवरी पुत्रियां छीतर, सरदार पुत्र मिठू, शारदा पुत्री मिठू हि. 1/3 के स्थान पर ज्ञानचन्द पुत्र खींवराज हि. 1/3 जाति महाजन सा. देह का अंकन कर दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी [illegible] आराजी कृषि भूमि के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:28 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

खाता 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 है0 के संयुक्त खातेदार कालू पुत्र छीतर जाति रावत हि. 1/12, छोटी पुत्री छीतर जाति रावत हि. 1/12, भंवरी पुत्री छीतर जाति रावत हिस्सा 1/12, शारदा पुत्री मिठू रावत हिस्सा 1/24, सरदार पुत्र मिठू जाति रावत हिस्सा 1/24 अंकन किया गया है, जिसके स्थान पर संशोधन के पश्चात् नवीन राजस्व अभिलेख में खाता संख्या 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 है0 में ज्ञानचन्द पुत्र खींवराज जाति महाजन हिस्सा 1/3 (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) तरमीम करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा सरे-इजलास सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:28 IST
Reason: SelfAttested